chairmanship of Prime Minister held on 27 January, 1994 it was *inter alia* decided to :—

(i) have the publication of the biography of Shri Rafi Ahmed Kidwai.

(ii) develop Masauli Village;

(iii) telecast serial during the centenary year.

(iv) bring out a commemorative stamp and postage cover;

(v) name programmes on food security after Shri Rafi Ahmed Kidwai.

(b) (i) A sub-committee has been set up for publicatitn of the bio-graphy of Shri Rafi Ahmed Kidwai. A panel of writer has since been drawn.

(ii) Ministry of Rural Development envisaged central assistance for development of Masauli Village including beautification of memorials there. This Department has sanctioned Rs. 20 lakhs for the said purpose.

(iii) Doordarshan has commissioned production of a documentary film on late Shri Rafi Ahmed Kidwai.

(iv) A Commemorative Stamp in honour of Late Shri Kidwai has since been released on 18.2.1995.

(v) The decision of the National Committee has been conveyed to all the concerned agencies.

(c) Does not arise.

Mahila Samriddhi Yojana

2898. SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE be pleased to state:

(a) whether the response to P.M.'s Mahila Samriddhi Yojana, which aims at economic empowerment of women was much above expectations;

(b) if so, how much of deposits has been attracted by the scheme; and how it compares with the original estamates; and

(c) what is the number of beneficiaries so far registered and how many of them come from SCs and STs?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVA RAJESHWARI): (a) and (b) Mahila Samriddhi Yojana has received good response. The amount deposited uptil February, 1995 is Rs. 77,84,80,570/-. No targets for deposits to be made had been fixed.

(c) Upto the month of February, 1995, 80,47,458 adult rural women have opened their accounts under Mahila Samriddhi Yojna. Out of these 10,23,613 accounts have been opened in the tribal areas. Figures of beneficiaries categtry-wise are not maintained.

मध्य प्रदेश में संगठनों को राष्ट्रीय महिला निधि के अन्तर्गत ऋण प्रदान किया जाना

2899. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश महिला विकास के क्षेत्र में कार्यरत उन गैर-सरकारी संगठनों/निगमों की जिला-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला निधि के अन्तर्गत ऋण प्रदान किए गए हैं;

(ख) इन संगठनों द्वारा इस ऋण को किस तरह से व्यय किया जाता है; और

(ग) इस योजना से प्रत्येक राज्य में कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवाराजेश्वरी): (क) राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना

30 मार्च, 1993 को की गई थी। अतः वर्ष 1991-92 और 1992-93 से संबंधित अपेक्षित ब्यौरा शून्य है। वर्ष 1993-94 में, भोपाल जिले में सैल्फ-एम्पलायड वीमेंस एसोसिएशन, भोपाल नामक एक संगठन को लगभग 2250 महिला ऋणप्राप्तकर्ताओं को आगे उधार देने के लिए 25-50 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया।

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत, अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए बचत और ऋण के क्षेत्रों में लगे गैर-सरकारी संगठनों को ऋण स्वीकृत किया जाता है।

(ग) महिला लाभप्राप्तकर्ताओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महिला लाभप्राप्तकर्ताओं की संख्या (राज्यवार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	महिला लाभ-प्राप्तकर्ताओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	14872
2.	बिहार	2500
3.	कर्नाटक	2020
4.	केरल	6670
5.	मध्य प्रदेश	2250
6.	महाराष्ट्र	5695
7.	मणिपुर	2000
8.	उड़ीसा	780
9.	राजस्थान	1605
10.	तमिलनाडु	18583
11.	उत्तर प्रदेश	2097
12.	पश्चिम बंगाल	3250
	योग :	62322

विशेष शिक्षा नीति

2900. **श्री राजनाथ सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के लिए एक विशेष शिक्षा नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिक्षा के स्तर में गिरावट आने के क्या कारण हैं और शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में सरकार द्वारा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड (ओ.बी.), गैर औपचारिक शिक्षा (एन.एफ.ई.), शिक्षक शिक्षा और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रमुख योजनाएं हैं। सभी स्तरों पर शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कई और उपाय भी किए गए हैं। इनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं-पाठ्यचर्या का नवीकरण, पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षकों के व्यावसायिक कौशल में सुधार लाने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसके अलावा, देश की सभी तकनीकी संस्थाओं को संसद द्वारा सृजित एक सांविधिक निकाय-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआई सीटीई) द्वारा निर्धारित मानदंडों की अभिपुष्टि करना होता है। तकनीकी और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा